(134)

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

पुर्नविलोकन प्रकरण क्र / 2017

रिव्यू 1151-II-17

1. वंश गोपाल पुत्र मोहनलाल
2. आशाराम पुत्र श्री वंशगोपाल
3. संदीप आयु 17 साल पुत्र श्री वंशगोपाल
4. ऋषिकेश उर्फ गोल आयु 15 साल पुत्र श्री वंशगोपाल अवयस्क पुत्र गण संरक्षक महिला कोकिला बाई माता खुद पत्नी श्री वंशगोपाल निवासी – ग्राम सागोरिया का पुरा मौजा हिगाना खुर्द परगना व जिला मुरैना म.प्र.।

.........आवेदकगण

श्री ...... द्वारा आज दि. 12-6-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 12-6-17
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

विरूद्ध

मोहन सिंह पुत्र श्री करन सिंह जाति जाटव निवासी ग्राम सागोरिया का पुरा मौजा हिगाना खुर्द परगना व जिला मुरैना म.प्र.।

..........अनावेदक

12/6/17

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत निगरानी 38/दो/2011 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2014 को पुर्नविलोकन किये जाने बावत ।

श्रीमान जी,

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

[redacted]

1. यहकि, तहसील मुरैना के ग्राम हिगोना खुर्द में स्थित विवादित भूमि के संबंध में माननीय व्यवहार न्यायालय से प्रकरण समाप्त हो जाने के आधार पर अनावेदक मोहन सिंह द्वारा नामांतरण किये जाने बावत आवेदन पत्र दिया जिस पर से अवैध व मनमाने पूर्ण तरीके से आवेदकगण को बगैर सुनवाई व आपत्ति का निराकरण किये प्रकरण क्र 58/2000-01 अ-6 पर दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 25.1.2001 से अनावेदक के पक्ष में नामांतरण किया गया जिस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील क्र 73/2001-02 प्रस्तुत की गई जो अपील आदेश दिनांक 30.12.2006 से अस्वीकार की गई जिस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील क्र 211/2006-07 प्रस्तुत की गई जो अपील भी गुण दोषो पर बगैर निराकरण किये आलोच्य आदेश दिनांक 28.8.2010 से अस्वीकार की गई । जिस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय (राजस्व मण्डल) के समक्ष निगरानी क्र 38/दो/2011 प्रस्तुत की गई जिस निगरानी में बगैर अधिनस्थ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु –1151–दो/17 जिला –मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर
15.5.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । अवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 38–दो/11 में पारित आदेश दिनांक 06.2.14 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1151–दो/17 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। 4– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 38–दो/11 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 06.2.14 से किया जा चुका है। 5– रिव्यु प्रकरण कमांक 1151–दो/17 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय	